संख्या- 192/2015/1863/71-1-2015-जी-560/2012

प्रेषक,

राजकुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 03 दिसम्बर, 2015

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा के संचालन हेतु चिकित्सा शिक्षकों के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-1/2015/3334, दिनॉक 28-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा को संचालित करने हेतु संलग्न तालिका में उल्लिखित चिकित्सा शिक्षकों के 21 (इक्कीस) अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित नियमित वेतनमान में दिनॉक 29-02-2016 तक, बशर्ते कि इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- सृजित किये जा रहे नियमित पद के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तें आदि नियमानुसार देय होंगे।

3- सृजित किये जा रहे पदों पर नियुक्ति विभागीय नियमावली एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों/ नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाएगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0326-राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1535/दस-2015, दिनॉक 02 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

(राजकुमार सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 192/2015/ 1683(1)/71-1-2014 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बॉदा।
4- कोषाधिकारी, बॉदा।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बॉदा।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।